राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या – 27/2026

उनवान

प्रार्थी

1. मजीद पुत्र सेफल जाति मुसलमान
निवासी अछिया खडीन तहसील रामसर
जिला बाडमेर।

विप्रार्थी

1.तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्तीकरण

राजस्व आवेदन संख्या – 27/2026 निर्णय दिनांक 25.05.2026

<u>प्रार्थी अधि.– श्री मदनसिंह भाटी</u>

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि **वादी के वकील श्री मदनसिंह भाटी द्वारा राजस्व आवदेन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि** मौजा अछिया खडीन पटवार मण्डल कंटल का पार तहसील रामसर के खसरा संख्या 365/10 रकबा 9.7448 हैक्टेयर, भूमि प्राथी की खातेदारी की पैतृक व सयुक्त खातेदारी भूमि आई हुई है। प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि मौजा अछिया खडीन पटवार मण्डल कंटल का पार तहसील रामसर के खसरा संख्या 365/10 रकबा 9.7448 हैक्टेयर, आये हुये हैं जिसमें प्रार्थी का नाम मजीज पुत्र सेफल हिस्सा 1/2 कर दिया हैं। जबकि राज्य सरकार एंव भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र ,आधार कार्ड ,पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड व अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में मजीद पुत्र सेफल जाति मुसलमान निवासी अछिया खडीन तहसील रामसर जिला बाडमेर दर्ज है। मजीज पुत्र सेफल व मजीद पुत्र सेफल आदि नामों का प्रार्थी एक ही व्यक्ति हैं। राजस्व रेकर्ड एंव सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों में नाम की भिन्नता होनें से सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वकांक्षी योजनाओं का वादी को लाभ नही मिल पा रहा हैं। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम मजीज पुत्र सेफल के स्थान पर मजीद पुत्र सेफल जाति मुसलमान निवासी अछिया खडीन तहसील रामसर जिला बाडमेर। दुरस्त (घोपित) करवानें के लिये **राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्तीकरणका राजस्व आवेदन** जरिये अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी द्वारा दिनांक 13.02.2026 को इस न्यायालय में पेश किया हैं जिसको दर्ज रजिस्टर इस कार्यालय के पत्रांक /कोर्ट/2026/208 दिनांक 25.03.2026 द्वारा मोका रिर्पोट चाही गई।, तहसीलदार रामसर के पत्रांक राजस्व/कोर्ट/2026/45.. दिनांक 20.05.2026 द्वारा इस कार्यलय को प्राप्त हुई। जिसमें राजस्व रेकर्ड में मतदाता पहचान पत्र ,आधार कार्ड ,पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड के अनुसार प्रार्थी का नाम मजीज पुत्र सिफल जाति मुसलमान सा. पांधी का पार के स्थान पर **मजीद पुत्र सेफल जाति मुसलमान निवासी अछिया खडीन** तहसील रामसर जिला बाडमेर इन्द्राज करनें की अनुशंषा की गई। एंव प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में नाम **मजीद पुत्र सेफल** दर्ज करवानें की अनुशंषा की गई। अतः पत्रावली का अवलोकन किया, बहस सुनी, तहसीलदार रामसर की रिर्पोट, सलग्न मतदाता पहचान पत्र ,आधार कार्ड ,पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड व अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों एंव सहखातेदारों के बयानों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता हैं कि मौजा अछिया खडीन पटवार मण्डल कंटल का पार तहसील रामसर के खसरा संख्या 365/10 रकबा 9.7448 हैक्टेयर, में राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम **मजीद पुत्र सेफल जाति मुसलमान निवासी अछिया खडीन** तहसील रामसर जिला बाडमेर को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक **25.05.2026** को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला-बाडमेर

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर